बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–1प / स्था–03–26 / 2026 / 337 / पं०रा० पटना, दिनांक 24 / 6 / 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक 13.10.2023 एवं पत्रांक 10360 दिनांक 11.06.2026 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पंचायत सेवा संवर्ग के अधीन निम्नांकित व्याख्याता को उच्चतर पद–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् में विहित वेतनमान (वेतन स्तर–08) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:–

क्र०सं०	वरीयता क्रमांक (2024)	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन
1.	31	श्री बलिराम प्रसाद	व्याख्याता	बक्सर
2.	32	श्री अमृतेश कुमार सिंह	व्याख्याता	नवादा
3.	33	श्री अजय कुमार झा	व्याख्याता	किशनगंज
4.	34	श्री विजय कुमार	व्याख्याता	शिवहर
5.	35	श्री लोकजीत कुमार	व्याख्याता	कैमूर
6.	36	श्री गौतम आनन्द	व्याख्याता	शेखपुरा
7.	37	श्री रंजन कुमार सिंह	व्याख्याता	मधेपुरा
8.	38	श्री प्रेम प्रकाश	व्याख्याता	मुजफ्फरपुर
9.	39	श्री प्रभाकर कुमार झा	व्याख्याता	सुपौल
10.	40	श्री अरूण कुमार यादव	व्याख्याता	बेगूसराय
11.	41	श्री राजेश कुमार	व्याख्याता	जहानाबाद
12.	42	श्री सुशेन्द्र पाल सिंह	व्याख्याता	सारण
13.	44	श्री हिमांशु शेखर	व्याख्याता	बांका
14.	46	श्री बाल मुकुन्द गौतम	व्याख्याता	भागलपुर
15.	47	श्री मुकेश कुमार चौधरी	व्याख्याता	प० चम्पारण
16.	48	श्री आनन्द भूषण	व्याख्याता	मुंगेर
17.	50	श्री प्रीतम कुमार जायसवाल	व्याख्याता	अरवल
18.	51	श्री कुमार सौरव	व्याख्याता	ईमामगंज, गयाजी
19.	52	श्री सतीश कुमार तिवारी	व्याख्याता	रंगड़ाचौक, भागलपुर

2. यह कार्यालय आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक 13.10.2023 एवं पत्रांक 10360 दिनांक 11.06.2026 में सन्निहित शर्तों के अध्यधीन तथा दिनांक 23.06.2026 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में निर्गत की जा रही है।

3. उपरोक्त उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान करने की यह व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–08) में उत्क्रमित किया जाता है।

5. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

6. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने की स्थिति में तद्नुसार इसे संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–26/2026/9575/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, बिहार/सभी प्राचार्य–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया एवं सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, बिहार/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित व्याख्याता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–26/2026/9575/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

D:\Amit 2026\Aashish Kr Jha 2026\Office Order 2026.docx

P.T.O.

ज्ञापांक–1प/स्था–03–26/2026/ 9575 /पं०रा० पटना, दिनांक 24/ 6 /2026
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके अधिसूचना सं0–19300 दिनांक 13.10.2023 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–26/2026/ 9575 /पं०रा० पटना, दिनांक 24/ 6 /2026
प्रतिलिपि–आई0 टी0 प्रबंधक, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

D:\Amit 2026\Aashish Kr Jha 2026\Office Order 2026.docx